طرح گزرنے سے ٹوٹ پھوٹ کا نقصان اٹھا جاتی ہیں - میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی اس راستے سے گزرا ہوں اور بھگتا ہوں اور اس لئے بھی کہ وہاں کے لوگوں نے بڑی ناراضگی کے ساتھ میرے ذریعہ ریلوے منسٹر صاحب سے مانگ کی ہے - اور اس لئے بھی کہ یہ ریلوے کی زبردست کوتاہی ہے - ریلوے منسٹر صاحب سے مانگ کرتا ہوں کہ اسے جلد از جلد ٹھیک کرا کر اس سڑک کو وہاں کی جنتا کے لئے آنے جانے کے قابل بنائیں اور لوگوں کی دشواریاں دور کریں -]

---

14.53 hrs.

**Cinematograph (Amendment) Bill**—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of the Cinematograph (Amendment) Bill. Shri Harish Chandra Rawat—absent. Shri Ram Pyare Panika. I would request Hon. Members not to take more than five minutes.

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चलचित्र (संशोधन) विधेयक पर बोलने का समय दिया। अभी दो रोज पहले या यूं कहा जाए कि कल ही हमारे माननीय मंत्री जी ने टी वी पर अपना बयान देते हुए कहा था कि हमारे देश में मनोरंजन के साधनों की बड़ी कमी है। दूसरे देशों की तुलना में, खासकर सोवियत रूस का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उसके मुकाबले तो हम बहुत ही पीछे हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सिनेमा और थिएटर्स का पूरी तरह से देश में फैलाव किया जाए—न केवल शहरों में बल्कि देहातों में भी। लेकिन आज इस सम्बन्ध में जो लोन या सहायता देने की योजना है उसमें बड़ी कठिनाइयां सामने आती हैं। नई स्टेजेज पर स्टेट गवर्नमेन्ट्स में कठिनाइयां आती हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बिल में ऐसा प्रावधान रखा जाए जिससे कि लोगों को डाइरेक्टली केन्द्र से सहायता मिल सके तथा गांवों में भी आवश्यकतानुसार इसका प्रसार हो सके।

दूसरी बात यह है कि आज समाज में यह आम चर्चा फैल रही है कि सिनेमा इस देश के नौजवानों के चरित्र-निर्माण में सहायक होने के बजाए विपरीत प्रभाव डाल रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और मुझे याद है अभी हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने इस पर चिन्ता प्रकट की थी कि जो सिनेमा प्रदर्शित किए जा रहे हैं, वे हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं हैं। जो हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, उसको हमारे देश के नागरिकों को नहीं प्रदर्शित किया जाता, बल्कि ज्यादा हमारी पिक्चर पाश्चात्य देशों की संस्कृति पर आधारित होती जा रही हैं। नतीजा यह हो रहा है कि हमारे देश के नवयुवकों में जो अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रति लगाव होना चाहिए, वह निश्चित तौर से उसका लगाव दूसरे देश की संस्कृति की ओर हो रहा है। कुछ हद तक यह भी कहा जा

[श्री राम प्यारे पनिका]

सकता है कि आज हमारे देश में जो अपराध बढ़ रहे हैं, वह सिनेमाओं की वजह से बढ़ रहे हैं। उन पिक्चरों में ऐसे चरित्रों को दिखाया जाता है, ऐसे डाकुओं के दृश्य दिखाए जाते हैं, जिनकी वजह से नौजवानों के दिमाग पर उसका गहरा असर पड़ता है और काफी हद तक जो आज ट्रेनों में डकैतियां हो रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, यह निश्चित तौर से सिनेमाओं का ही असर है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वे जो सेंसर बोर्ड है, उसको निश्चित तौर से डायरेक्ट करें कि उसको ऐसी पिक्चरों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, जो हमारे देश के नवयुवकों के चरित्र पर असर डालती हों।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जो देश में एक उत्पादन बढ़ रहा है और एक नई क्रान्ति दिखाई दे रही है, चाहे वह विकास के कार्यक्रम हों, उनका भला होना चाहिए। जहां एक तरफ सिनेमाओं का उद्देश्य मनोरंजन है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के नागरिकों का ज्ञानवर्द्धन भी होना चाहिए। हमारे देश के हर नागरिक को यह मालूम होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या घटनायें घट रही हैं, उनको अवगत होना आवश्यक है, लेकिन हम देखते हैं, कि ऐसे समाचारों को कम महत्व दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि आप ऐसा प्रावधान करें कि ऐसी सूचनायें देश के कोने-कोने में पहुँच जायें। यह बात सही है कि हमारे पास साधन सीमित हैं, लेकिन सिनेमा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आज परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम बहुत कम दिखाए जाते हैं, आप निश्चित तौर से परिवार नियोजन और अन्य विषयों से सम्बन्धित डाकूमेंट्री फिल्म बनाकर, जो कि राष्ट्रीय हित में हों, उनको अधिक से अधिक दिखाया जाए, तो निश्चित तौर से उसका इफैक्ट पड़ता है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप खास कर जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पर सिनेमा आदि की सुविधायें स्थापित करें। जिससे कि हरिजनों को, वीकर सैक्शन के लोगों को, आदिवासी लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ पहुँच सके। खास कर जो आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं, आपके जहां पर डवेलपमेंट हो रहे हैं, जैसे कि हमारा मिर्जापुर का जनपद है, जहां पर कि 20 हजार मेगावाट बिजली का कम्पलैक्स बन रहा है, वहां कोई मनोरंजन का साधन नहीं है और बिहार में भी इसी तरह पिछड़े हुए इलाके हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मंत्री जी, जैसी कि आप की निगाह पैनी है, आप निश्चित तौर से उन दूर-दराज के इलाकों को देखें। ये जो सुविधायें आप देते हैं, यदि आप रिकार्ड मंगाकर देखें, तो जो सहायता दी जाती है वह निश्चित तौर से शहरों या शहरों के आसपास के क्षेत्रों में कंसन्ट्रेट हो गई है। मैं मानता हूँ कि जो सिनेमाओं के निर्देशक होते हैं, वे लोगों के टेस्ट के अनुसार पिक्चर पैदा करते हैं, लेकिन टेस्ट के साथ-साथ हमें देश की आवश्यकता को भी देखना पड़ेगा और देश की परिस्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाकर सिनेमा का मुख्य उद्देश्य पूरा होगा।

मैं ज्यादा समय न लेकर सिर्फ इतना ही मंत्री जी से कहना चाहता हूँ आप इसमें ऐसा परिवर्तन करें कि सरलीकरण हो और विभिन्न स्तरों पर जो सिनेमा लगाने में

कठिनाई हो रही है, वह दूर हो और छठी पंचवर्षीय योजना में जो पैसे की मांग कर रहे हैं, वह कम है। आप अधिक से अधिक मांग करें, हम सब लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आपका ही सिद्धान्त है और कई बार आपने हाउस में कहा है कि मैं ऐसे क्षेत्रों में, जहां आदिवासी और हरिजन लोग रहते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं, केवल सिनेमा ही नहीं, बल्कि टेलीविजन भी फैलाना चाहते हैं। अब जब ऐसा उद्देश्य है और टेलीविजन पर पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, यदि आप वह न लगा सकें तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि सिनेमा निश्चित तौर से बनें।

इन शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है आप मेरे सुझावों पर विशेष ध्यान देंगे और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

**श्री बी० डी० सिंह** (फूलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चलचित्र संशोधन विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करते समय माननीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री जी ने राष्ट्रीय फिल्म नीति पर कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की चर्चा की थी और यह भी कहा था कि कार्यकारी दल की संस्तुतियों के अनुरूप ही यह संशोधन बिल लाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान राष्ट्रीय फिल्म नीति पर कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की दो-तीन संस्तुतियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

कार्यकारी दल ने एक संस्तुति यह की थी कि एक चल-चित्र अकादमी की स्थापना की जानी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे यहां संगीत-नाटक अकादमी है, साहित्य अकादमी है और ललित-कला अकादमी है, उसी प्रकार से चल-चित्र अकादमी की स्थापना होनी चाहिये जिससे जो चल-चित्र हमारे यहां बनाये जायें वे कलात्मक-दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, शैक्षिक-दृष्टि से उच्च कोटि के हों और इन बातों को वह अकादमी देखे।

दूसरी संस्तुति उस दल ने यह की थी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाय जिससे फिल्म जगत को सटोरियों के हाथों से बचाया जाय। माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात को मानते हैं कि आज काले-पैसे के चंगुल में हमारा फिल्म जगत फंसा हुआ है, उस चंगुल से उसको बचाने की व्यवस्था होनी चाहिये और इस चल-चित्र जगत में जो विकास-शील पक्ष है उस को वह संगठन प्रोत्साहन दे, उसकी कार्यप्रणाली को मर्यादित करे, उनकी सहायता करे।

तीसरी संस्तुति में कार्यकारी दल ने यह अनुशंसा की थी कि फिल्म उद्योग को अन्य उद्योगों की तरह पुनर्गठित किया जाय और उसमें जो लोग काम करते हैं उन लोगों को अन्य औद्योगिक कर्मचारियों के समान सेवा-सुविधायें उपलब्ध हों। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने उत्तर में यह बतलायें कि इन बातों के सम्बन्ध में उनकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अब मैं इस संशोधन विधेयक में जो बातें कही गई हैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ बातों के सम्बन्ध में मेरी सहमति है, परन्तु कुछ बातों के सम्बन्ध में मेरी असहमति है। इस के सैक्शन 3 में "बोर्ड आफ़ सेन्सर" की जगह "बोर्ड आफ़ सर्टिफिकेशन" कर के नामकरण में परिवर्तन की बात कही गई है। पहले इसमें 9 सदस्यों की व्यवस्था थी। मैं इस बात को मानता हूं कि कार्य की अधिकता की वजह से

[श्री बी० डी० सिंह]

अधिक सदस्यों की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिये आप ने इस में कम से कम 12 और अधिक से अधिक 25 सदस्यों की जो व्यवस्था की है, इसमें कोई असहमति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो रीजनल बोर्ड की बात कही गई है—जो क्षेत्रीय बोर्ड बनाये जायेंगे उनको सेन्ट्रल बोर्ड के तहत ही काम करना चाहिये जिस से सर्टिफिकेशन में एक रूपता रहे। पहले इस तरह की शिकायतें आई हैं एक भाषा में एक फिल्म को पास कर दिया गया, लेकिन उसी फिल्म को दूसरी भाषा में पास नहीं किया गया—इसमें एक रूपता होनी चाहिये। इस लिये रीजनल बोर्ड बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाय कि उसमें जो सदस्य रखे जायें उनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन में जो बातें कही गई हैं, मैं उनको यहां पर दोहराना चाहूंगा—जैसे प्रमाणीकरण सदस्यों का शैक्षिक और सांस्कृतिक आधार पर होना चाहिये। जीवन के प्रति उनका व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिये। उनमें कला और संस्कृति का भी कुछ ज्ञान होना चाहिये। वे देश के मूल्यों से अवगत हों तथा उनका देश में काफ़ी भ्रमण हो।

इस विधेयक के सैक्शन 4 में फिल्म वर्गीकरण की बात कही गई है। पहले "ए" और "यू" दो श्रेणियां थीं, अब आप ने तीसरी श्रेणी "यूए" रखी है और इसमें यह कहा है कि अगर उनके गार्डियन चाहें तो 12 वर्ष तक के बच्चे को दिखा सकते हैं। इस से मेरी पूर्णतया असहमति है क्योंकि अगर आप स्वयं इस बात को महसूस करते हैं कि उस फिल्म में कुछ दृश्य आपत्तिजनक हैं, तो सरकार का, आप का स्वयं यह कर्त्तव्य हो जाता है कि इन बच्चों को वह फिल्म नहीं दिखाई जानी चाहिए और पूर्ण रूप से उस पर रोक लगनी चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि यह आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ा कर 16 वर्ष होनी चाहिए क्योंकि 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी बालक की श्रेणी में आते हैं। मेरी तो ऐसी धारणा है कि आपत्तिजनक दृश्य फिल्म में होने ही न चाहिएं लेकिन अगर कुछ हैं, तो स्वयं ही आप उस फिल्म को दिखाने से बच्चों को रोकिये और गार्डियन्स पर इस बात को न छोड़िये। अब जो आप कर रहे हैं, उसमें यह होगा कि गार्डियन पहले खुद फिल्म देखें और उसके बाद वह यह तय करें कि हम इसको अपने बच्चों को दिखाएं या न दिखाएं, यह मेरी समझ में ठीक नहीं है। आप स्वयं उनको ऐसी फिल्म देखने से रोकिये ताकि वे इनको देख न सकें। आगाह करने की बात जो आप ने इस में रखी है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। यह तो ऐसा ही हुआ कि करोड़ों रुपया एक तरफ़ सरकार शराबबन्दी पर खर्च करे और दूसरी तरफ़ बड़ी बड़ी दुकानें शराब की खोल दी जाएं, जहां पर जा कर लोग शराब पियें। इसलिए आगाह करने की बजाए, आप इसको स्वयं रोकिये और 12 वर्ष की बजाए 16 वर्ष के बच्चों तक आप इसको लागू करें कि वे ऐसी फिल्में न देखें।

इस में राष्ट्र की प्रभुसत्ता और अखण्डता की बात कही गई है। इस में कोई दो राय नहीं हैं। सभी चाहते हैं कि राष्ट्र की अखण्डता और प्रभुसत्ता कायम रहे और उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि हर बिल में इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता है और यह तो सिद्धान्त की बात है जो हर जगह लागू होता है और इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती।

इसमें जो एपेलेट ट्रिब्यून की बात कही गई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इस ट्रिब्यूनल में जो चेयरमैन के एपाइन्ट करने की बात है, उसमें यह कहा है कि अवकाश-प्राप्त हाई कोर्ट का जज, उसका चेयरमैन होगा या कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो हाई कोर्ट का जज होने की योग्यता रखता है। ऐसे व्यक्ति को भी चेयरमैन बनाया जा सकता है। मेरी यह राय है कि जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज होने की योग्यता रखता हो, उसको तो आप हाई कोर्ट का जज बनावें लेकिन इसमें हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को ही चेयरमैन बनाएं।

इसके अलावा सरकार ने रिवीजन का अधिकार अपने हाथों में ले लिया है। इस से मेरी असहमति है क्योंकि यह स्वस्थ परम्पराओं के अनुरूप नहीं है। घूम-फिर कर फिर सरकार अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। और किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अगर अपील करनी है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वह जाए और सरकार को अपने हाथ में इस अधिकार को नहीं लेना चाहिए।

यह जो आप ने फिल्मों को सस्पेंड करने या रिवोक करने का अधिकार लिया है, वह ठीक है। अगर कोई लोग ऐसी फिल्म दिखाना चाहते हैं, जिसके कुछ दृश्यों पर सेंसर लगाई गई है और वे उन दृश्यों को फिर जोड़ लेते हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारे यहां फिल्मों का स्तर बहुत गिर गया है चाहे अभिनय हो, चाहे गीत हों और चाहे संगीत की बात हो। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अब भी पुरानी फिल्में लोगों को ज्यादा पसन्द आती हैं। कला के नाते और गीतों के नाते उनको पसन्द किया जाता है। अंग-प्रत्यंग का खुला प्रदर्शन कोई अच्छे अभिनय की बात नहीं है। संगीत और गीतों के मामले में भी तरक्की होनी चाहिये और इनका स्तर ऊंचा होना चाहिए और इसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रेरणादायक प्रयास होना चाहिए।

अन्त में मैं दो सुझाव दूंगा। राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनती हैं, उनकी सब-टाइटलिंग होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग उनको समझ सकें। मैंने कुछ ऐसी फिल्मों को देखा है और सब-टाइटलिंग होने से उनको समझने में आसानी होती है। विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, संस्कृति और कला को समझने के लिए सब-टाइटलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे आसानी से समझी जा सकें। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जिन फिल्मों का आयात किया जाए, आयात करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और क्षैक्षिक दृष्टिकोण से काफी अच्छे स्तर की हों। हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी फिल्में आयात की जाती हैं, जो हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं पड़ती। ऐसी फिल्मों को यहां मंगवा लेते हैं और उनको बगैर सेंसर दिखाते हैं। इसका बुरा प्रभाव हमारे यहां के लोगों पर पड़ता है। इसको रोका जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1981 का समर्थन करता हूं। इस में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक तो आपने 12 वर्ष के बच्चों को जो फिल्में देखने की छूट दी है वह बिल्कुल गलत है। आपने कहा है कि 12 साल के छोटे बच्चे, ऐसी फिल्मों को देख सकेंगे जिनके बारे में अभी तक छूट नहीं दी जाती थी। अब वे अपने माता-पिता के साथ देख सकेंगे। जो फिल्में छोटे बच्चों के लायक न हों उनके छोटे बच्चों द्वारा देखने पर बन्दिश होनी चाहिए और छोटे बच्चों को वह फिल्में नहीं दिखायी जानी चाहिएं। अब तक ऐसी फिल्मों के छोटे बच्चों द्वारा न देखने के जो कानून बने हैं उनकी पूरी पालना होनी चाहिए।

लेकिन मैंने देखा है कि कहीं पर भी इस कानूनी व्यवस्था को लागू नहीं किया जाता है। सिनेमा वाले यह लिख तो देते हैं कि यह फिल्म एडल्ट्स के लिए है लेकिन उस फिल्म में ही सब से ज्यादा भीड़ होती है और बच्चे भी उस फिल्म को देखने बहुत जाते हैं। इस कानून से उस फिल्म को बड़ी पब्लिसिटी मिलती है और फिल्म वाले इस से बड़ा फायदा उठाते हैं। इस तरह से इस कानून की व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया जाता है। मेरा कहना है कि इस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। अगर बच्चे गन्दगी और खराब फिल्म देखेंगे तो उनके चरित्र पर बुरा असर पड़ेगा।

दूसरे मेरा निवेदन है कि आपने जो बोर्ड के 12 से 25 सदस्य बनाने का प्रावधान किया है उनके बारे में यह नहीं स्पष्ट किया कि वे सदस्य कौन-कौन से होंगे, किस किस, भाषा को जानने वाले होंगे, कहां कहां के रहने वाले होंगे। क्या आपने अलग अलग प्रदेशों के लिए यह नियत किया है कि इस-इस भाषा की इतनी-इतनी फिल्में बनेंगी? अगर आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करते हैं तो बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जिनकी लेंगुएज के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और न उनमें कोई फिल्म बनती है। चाहे तो पापुलेशन के बेसिस पर हो, चाहे लेंगुएज या संस्कृति के बेसिस पर हो, किसी भी बेसिस पर हो, सब को इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उनको उतनी ही फिल्में मिलनी चाहिए। जितनी जिस स्टेट की पापुलेशन हो उसकी उसी हिसाब से फिल्में बननी चाहिएं। मैं राजस्थान की बात बताता हूं। उसकी साढ़े तीन करोड़ की आबादी है। राजस्थानी भाषा में दो-चार फिल्में मुश्किल से बनी होंगी। इसलिए उनकी संस्कृति या भाषा या भावनाओं का भी असर होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए और बोर्ड में जो 12 से 25 सदस्य हों वे लेंगुएज के बेसिस पर अलग अलग क्षेत्र को रिप्रेजेन्ट करने वाले हों। अगर सभी की लेंगुएज और संस्कृति के इस बोर्ड में प्रतिनिधि नहीं होंगे तो वे किस प्रकार से उसके बारे में व्यवस्था कर पायेंगे। इसलिए इस में यह सुधार किया जाना चाहिए और सभी को इस में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जिन लेंगुएज की फिल्में कम बनी हों और उनकी पापुलेशन ज्यादा हो, उनकी ज्यादा फिल्में बननी चाहिएं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने ट्रिब्युनल बना दिया। फिर रिव्यू और न रिविजन का अधिकार आपने सरकार

के पास रखा है। आपने इसलिए ट्रिब्यूनल और इंडीपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाया है कि हमारे जो बहुत से सरकारी अधिकारी हैं वे अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। जब हमने यह व्यवस्था की है कि ट्रिब्यूनल फैसला करेगा तो फिर वही अधिकार सरकार ने रिव्यू और रिवीजन के तहत ले लिए हैं। मैं समझता हूं कि ट्रिब्यूनल के बाद में इस रिव्यू रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ट्रिब्यूनल के साथ-साथ दूसरे अधिकार लेने से मैं समझता हूं कि कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि जो अव्यवस्था आज चल रही है सेंसर आदि के बारे में, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए इसके बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि इन अधिकारों के जरिए आप अपने मंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे या नहीं ?

इसी प्रकार से धारा 5 में व्यवस्था की गई है कि "अनुदत्त प्रमाण-पत्र को निलंबित या प्रतिसंहृत करने के लिए उपबन्ध किया जा रहा है" और उसके बाद में लिखा है कि "केन्द्रीय सरकार को ऐसे आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति भी प्रदत्त की जा रही है।" एक तरफ ट्रिब्यूनल आर्डर देगा और उस पर आप वापस रिव्यू सुन लेंगे। दूसरी तरफ ऐसी व्यवस्था करेंगे तो यह सब बातें आपस में तालमेल नहीं रखतीं—कंट्राडिक्टरी हैं। इसलिए इस व्यवस्था के बारे में ठीक प्रकार से विचार किया जाए।

इसी प्रकार से दण्ड प्रक्रिया के बारे में कहा गया है कि कारावास की अधिकतम सीमा 2 वर्ष की जा रही है और जुर्माने की राशि एक हजार से बढ़ाकर दो हजार की जा रही है। मेरे विचार से यह जुर्माने की राशि बहुत ही कम है। जिन फिल्मों के निर्माण में करोड़ों रुपया खर्च होता है, उनमें इस प्रकार के अपराधियों पर केवल 2 हजार रुपया जुर्माना अगर रखा जाएगा तो ये अपराध नहीं रुकेंगे। लोग अवहेलना जारी रखेंगे और कोई सुधार नहीं होगा। इसीलिए जुर्माने की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

इसी प्रकार से दो तीन बातें और हैं— आब्सीन सीन, वल्गेरिटी के बारे में। धार्मिक और सामाजिक सिनेमा इतने पापुलर नहीं होते जितने आब्सीन सीन, वल्गेरिटी और सेक्स प्रदर्शन वाली फिल्में पापुलर हो जाती हैं। ऐसी फिल्मों का एडवर्टाइजमेंट भी खूब किया जाता है और इनको पब्लिसिटी भी बहुत मिलती है। इस प्रकार की बातों को रोका जाना चाहिए। आजकल फिल्में देखकर ही लोग अपराध करते हैं, चोरियां और डकैतियां होती हैं। इस प्रकार की बातों को बढ़ावा देने वाली बातें फिल्मों में नहीं होनी चाहिएं। सेक्स का गलत ढंग से प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाओं को निश्चित तरीके से रोका जाना चाहिए।

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता था कि सेक्स को सही ढंग से कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है ?.... (**व्यवधान**)....

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : नारी का सही रूप प्रदर्शित किया जा सकता है, जिस ढंग से हमारी बहू-बेटियां रहती हैं। आज फिल्मों में नारी का आधा शरीर नग्न दिखाया जाता है, जिसका हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी व्यवस्थाओं को रोका जाना चाहिए.... । (**व्यवधान**)...

इसी प्रकार से आज कल जो म्यूजिक दिया जाता है और गन्दे गीत गलियों में

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

बच्चों द्वारा गाए जाते हैं, ऐसे म्यूजिक पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। फिल्मों में इस प्रकार की बातें होनी चाहिएं, जिनसे हमारे बच्चे प्रशिक्षित हों. उनकी एजूकेशन बढ़े और उनके चरित्र का विकास हो।

समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, यह भावना उनमें पैदा हो, देश के प्रति उन की क्या जिम्मेदारी है, यह भावना उनमें पैदा हो, काला बाजारी, काले धन की प्रवृत्ति जो देश में बढ़ रही है, वह रुके और ऐसा करने के लिए हमें चल चित्रों के माध्यम को इस्तेमाल में लाना चाहिए, लोगों को इन बुराइयों के प्रति जागरूक करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था सिनेमा के द्वारा हो तो देश का कल्याण होगा।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार कर कुछ निर्णय लें।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this measure is the outcome of the recommendations made by the Khosla Committee and by the Group appointed in the year 1981. After going through this Bill, I do not find many of the recommendations made by both these bodies have been reflected. This Bill mainly refers to the procedural aspects, but the policies and objectives, I do not think, have been sought to be achieved by this Bill.

At the end of this Group Report which was given in March, 1981, it is mentioned that most of the recommendations are interlinked, and unless the whole package of measures suggested is accepted and implemented, the desired policy objectives are not likely to be achieved. I would like to know from the Hon. Minister what steps Government propose to take for the implementation of the various recommendations which are interlinked. Take, for example, promotion of good cinemas. Many of my friends have suggested that they do not want to have pictures like *Insaf ka Tarazoo*. Even the Hon. Minister will agree with me that they cannot be included in the category of good pictures. I would like to know what steps Government propose to take for the promotion of good cinemas in the country.

If good films and good cinemas are to be produced, then financing at low rate of interest is required. Is it possible that such financing can be made by the NFDC, so that we can have good films ? I would like to have an answer to this from the Hon. Minister.

Coming to the system of distribution and creation of exhibition facilities particularly suited to the requirement of good quality films that has to be developed. A recommendation has been made positively to this particular effect. I would also like to know what steps Government propose to take in this matter.

The status of cinema in the present days is only for the purpose of recreation and amusement. I feel that the status of cinema should be as a cultural activity and as a medium for creative expressions. That has been recognised now in view of the recommendations made by the Group and also by the Khosla Committee.

In this connection, the taxation policy has to be reviewed. I would request the Hon. Minister to take up this matter with the Minister of

Finance so that the question of excise—and entertainment tax to which I would come later, the matter being a State subject—can be gone into.

It is said that, if good films are produced, there is no audience : we have audience only to films where violence and sex are exhibited, and if there are good historical films, there is no audience. For example, the film "20th June" in Marathi, to which award has been given, does not attract audience. In this regard I would like to submit that some activities will have to be gone into. This Group recommended a national academy; thay have termed it as 'Chala Chitra Academy'. And if such pictures are to be promoted and you want people, young boys and girls in this country to see good pictures, that can be done through this Chala Chitra Academy. I would like to ask the Government whether it is going to accept this very valuable recommendation; if not why and what are the difficulties in accepting this particular recommendation.

It is also necessary that this should be treated as an industry and institutional finance given so that speculation in this particular industry can be avoided. Then, the Hon. Minister, while speaking on the other Bill said that we have only 10,000 theatres in this big country and many of these are in the south. It is necessary that some expansion programme of the theatre network has to be taken up by the Government. I do not find any thing of these reflected any where in this Bill. Though this Bill has a very limited scope and all these things could not be brought into it, atleast this is an opportunity for us to ask for clarification from the Hon. Minister as to what the Government intend to do with reference to these recommendations.

As far as the rural areas are concerned, is it not possible for the Government to adopt 16 mm technology so that the expenses and the high cost of production of films could be reduced ? I am requesting the Hon. Minister to consider my suggestion to allow liberal imports of 16 mm technology and development of infrastructure for production of 16 mm films. That would be of much help.

One more suggestion which was already made while discussing the other Bill and the Hon. Minister also agrees, and that is the implementation on all-India basis and, therefore, bringing the entire subject either in the Central or in the Concurrent List. Now, in that connection, the Hon. Minister said that Entry 60 and Entry 33 will have to be amended, Assuming for a moment that I move a private member Bill to that effect, will you see that all the Government Members support my Bill ?....

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE) : I will do it.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR : Then I will bring it. Thank you. If the Bill is not moved, why not take this subject through Entry 52 of VII Schedule. It may not be an industry for the purposes of Industrial Disputes Act but for the purpose of interpretation of the Constitution, it is positively an industry. If you do not want any Bill and if this is the impediment as you said the other day, this can be done through this particular measure.

Finally, I know and your Ministry knows about it. You cannot look to all the things as your Ministry is over-burdened. Therefore, a special racommendation was made to create a special cell to look after the implementation and prepare legislation

[Shri Bapusaheb Parulekar]

so that this particular package of suggestions could very well be implemented. Are you going to do it? That was the suggestion that was made by this purticular Group. I submit before some specific suggestions which I want to make with reference to the Bill which I will do at the time of the Second Reading. I have said that I will make use of this time to make suggestions of a general nature. This is what I wanted to say about it.

Coming to the Bill, one or two points. You have retained the section of revisional powers. You have gone on record in the other House that you are not going to exercise these powers unless it is a question concerning national security or a friendly country. This is what you have said in the Rajya Sabha. We are going to utilise this particular provision for the purpose of this. I have given amendments. Why not put in the Section itself that deals with the revisional powers that the powers will be exercised only in such cases. If that is the only intention of this Section, then my suggestion may be accepted and if you are not going to accept it, then we apprehend and we fear that you are going to make use of it and you want to over ride the decision of the tribunal.

For example, you also have the power for revocation of licences probably because if any film like Andi is sanctioned by the Tribunal and also by the Board and if you still feel that this film Andi should not be shown. You want to reserve that particular power. What I respectfully submit is that instead of Government's reserving this power why don't you allow a special provision for filing of appeals against the Tribunal or to the High Court or to the Supreme Court? Why do you want this power to Central Government? Who is going to take the decision about this?

Another thing to which submissions have been already made by my other colleagues—I won't repeat them—are these. I would like to ask one question on them. I do not understand how you are going to implement that power of not seeing the film by children below 12 years? Suppose a particular S certificate has been given to a film meant for a doctor. Suppose he comes from Bombay to Delhi and wants to see this film. Is he to carry M.B.B.S. degree with him? How are you going to implement that provision? I do not understand this. The parents of children should certify this. There will be discrimination—some parents feel that the children of those parents should see and some may feel that their children should not see that film. There are 25 persons in the Board sitting who, in their wisdom, have to take a decision that this film should not be seen by children below 12 years of age. This, in my respectful submission, is a measure which cannot be implemented. One more thing to which a reference was made by my esteemed colleague. That is about the qualification of the Chairman. Have you dearth of retired judges in the country? A provision has been made by you regarding this. I am restricting myself to the Bill which mentions that the retired high court judges be entitled to be on the Board. There are many categories. Unless there is a dearth of judges. I do not see the wisdom in the latter part of your clause—"Any person who is qualified to be a judge after 10 years of practice has to certify". Why do you want this power with you to appoint anybody to be the Chairman. Why not you delete this provision. As far as the qualifications of the members of the Board are concerned, the qualifications were those as given in 1972 act.

Any person who is entitled to take a proper decision may be appointed as a Member of the Board.

What flexibility is there ? I therefore submit that I oppose to certain measures but I welcome certain measures and, at the same time, I appeal to the Minister to tell us as to what the Government and he, particularly, is going to do with reference to the recommendations made by the Khosla Commission in their report ? Thank you, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Nawal Kishore Sharma.

**श्री नवल किशोर शर्मा** (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक का मंतव्य बहुत साधारण होते हुए भी इस पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है, जिसका उपयोग देश-हित में किया जा सकता है। देश के लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा करने और चरित्र के ह्रास-चारित्रिक गिरावट—को रोकने में सिनेमा एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। दुर्भाग्य से सिनेमा इससे उल्टा काम कर रहा है। हाउस में जो डिबेट हुई है, मंत्री महोदय को उससे सबक लेना चाहिए। करीब-करीब सभी वक्ताओं ने यह विचार प्रकट किया है कि आज का सिनेमा देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए उसमें सुधार की आवश्यकता है।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं माननीय सदस्य, श्री पारुलेकर से सहमत हूँ कि एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ज्यादा अच्छा होता कि उस काम्प्रीहेंसिव बिल पर सारी चर्चा होती। यह सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट जो बहुत पुराना है, वर्षों बाद आप ने इस में अमेंडमेंट करने का फैसला किया है। एक बार अमेंडमेंट किया, वह कागजों पर पड़ा रहा, उसके बाद सद्बुद्धि आई और फिर आपने उसका अमेंडमेंट करने का फैसला किया है। इसको भी व्यापक बनाने की कोशिश की गई होती तो हम ज्यादा उसका स्वागत करते। पर जो कुछ भी आप ने किया है उसका हम स्वागत करते हैं।

मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सिनेमाज में जो परिवर्तन पिछले दस सालों में ही आया है उसको ही हम रोक दें तो वह भी बहुत है। दस साल पहले जो फिल्में बनती थीं और इन दस सालों में आज जो फिल्मों के बनने का दौर आया है उस को आप देखें, आज तो बड़े गर्व के साथ डाकुओं पर फिल्में बनती हैं और डाकुओं के नाम से फिल्में दिखाई जाती हैं जैसे डाकू ही हमारे राष्ट्रीय चरित्र के द्योतक हैं या हमारे लिए आदर्श व्यक्ति हो गए हैं। कोई फिल्म आज ऐसी नहीं है कि जिस में मार-धाड़ नहीं हो। अगर मारधाड़ नहीं तो फिल्म ही अधूरी है। आपकी अच्छी से अच्छी फिल्म जो होती है जिस को आप ए क्लास फिल्म बताते हैं उसमें भी कहीं न कहीं मार-धाड़, उठा-पटक और जूतम-पैजार अवश्य होता है। उस के बिना जैसे कोई इन्टरैस्ट ही नहीं रह गया है। इस के ऊपर कहीं रोक नहीं है। आप का इसके बारे में एक ही पैट जवाब है कि सिनेमा इज ए कमर्शियल थिंग, लोगों की नीड्स को कैटर करने के लिए, उनकी रुचि के मुताबिक वह कमर्शियलाइज्ड है, इस लिए यह सब करना पड़ता है। लेकिन किस कास्ट पर ? आप किनको एडवांटेज दे रहे हैं, हजार, दो हजार, दस हजार, लाख, दो लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन सारे नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं, सारे देश को पतन की ओर ले जा रहे हैं। इसको आपको मजबूती से रोकना चाहिए। और क्या चाहिए आप को ? पार्लियामेंट की सैंक्शन है आपको, यह डिबेट आप के लिए बैरोमीटर होगा

[श्री नवल किशोर शर्मा]

चाहिए, सारा हाउस, चाहे वह अपोजीशन के लोग हों या आपकी अपनी पार्टी के लोग हों सब ने इस बात की एक स्वर से मांग की है कि इस में परिवर्तन कीजिए।

आप ने जो परिवर्तन किया वह अच्छा काम किया। इस को बोर्ड आफ सर्टिफिकेशन बना दिया, सेंशरशिप की बात समझ में नहीं आती थी, नानसेन्स वर्ड था, असल में तो वह सर्टिफिकेशन ही है, सेंशरशिप क्या है? तो यह तो आप ने अच्छा काम किया है। उस को कैटेगोराइज़ कर दिया, टेकनिकल लोगों के लिए एक अलग (एस) सर्टिफिकेट दे दिया। यह सारा काम तो अच्छा हुआ। लेकिन जो काम हम चाहते हैं, जिस के लिए आज देश के लोगों को चिन्ता है वह नहीं किया। आज जितने आप के क्राइम्स के बारे में अनुसंधान हुए हैं, डैक्वायटीज़, मर्डर, आदि के अनेक मामलों में यह बात सामने आई है कि क्राइम करने वाले ने सिनेमा से इन्सपायर हो कर के उस ढंग से काम करने की कोशिश की है। वह टेकनीक उस ने वहां से सीखी है। तो मेरा निवेदन है कि यह बहुत गंभीर सवाल है। इस सवाल पर आप को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

पारूलेकर साहब के उस सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं कि हाईकोर्ट के जजेज़ ही सब जगह हों, जैसे वही सारे ज्ञान के जानने वाले हैं और वही सब बातों में एबव आल हैं, वही सिर्फ ईमानदार हैं, दुनिया में दूसरे लोग तो सब बेईमान हैं। मैं इस से सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं यह मानता हूं कि यह क्लाज़ जो आप ने रखी है दस साल वाली क्वालीफिकेशन आफ ए हाई कोर्ट जज़ के सम्बन्ध में उस से मैं सहमत हूं और उस की पुरजोर वकालत करता हूं। पारूलेकर साहब के सुझाव का मैं विरोध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह टेंडेंसी बहुत गलत है, इस हाउस में आम तौर पर यह बात कही जाती है, किसी भी काम के लिए हो, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या हाईकोर्ट जज हो। जैसे हाई कोर्ट के जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के अलावा दुनिया में और कोई ईमानदार बाकी ही नहीं रहा है। वे जरूर चरित्रवान हैं, मैं उनके चरित्र से इनकार नहीं करता, उनकी बुराई भी नहीं करना चाहता लेकिन इस प्रकार की जो टेन्डेन्सी पैदा हो गई है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं समझता हूं हमें दूसरे लोगों पर भी भरोसा करना चाहिए, उनके चरित्र को भी हमें उतना ही शुद्ध मानना चाहिए।

मैं मन्त्री जी से एक बात और कहना चाहता हूँ कि अच्छी टेस्ट की पिक्चर्स चल नहीं पाती हैं इसके बारे में भी सरकार को गम्भीर प्रयत्न करना होगा। ऐसी पिक्चर्स के निर्माण के लिए अच्छे आर्टिस्ट्स का सेलेक्शन करना होगा और अच्छे स्टोरी-राइटर्स को सामने लाना होगा। आज यहां पर हालीवुड की नकल की जाती है। इस सिलसिले में हमारी पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज कमेटी ने फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन को एग्जामिन किया था, मैं उस सब-कमेटी का कन्वीनर था, उस रिपोर्ट को आप पढ़ लें। आप उसकी रिकमेंडेशन्स को लागू करें।

मैं तो यह चाहूंगा कि इस मीडियम का उपयोग देश के हित में करना चाहिए। आज हमारे फ्रीडम मूवमेन्ट को लोग भूलते जा रहे हैं। इसके अलावा कन्ट्रक्टर बिल्डिंग

की बात को सामने लाना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने की बातें होनी चाहिए। साथ ही साथ एग्रीकल्चर और दूसरे क्षेत्रों में जो एडवान्समेन्ट हुआ है उसको दिखाया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र में आत्म-विश्वास की भावना पैदा हो सके। इसके अलावा जैसा हमारा सोशल कल्चर है उसको वैसा ही डेपिक्ट किया जाना चाहिए, वैस्टर्न कन्ट्रीज की नकल नहीं होनी चाहिए।

इन सभी बातों की तरफ मैं समझता हूं मंत्री जी को पूरा ध्यान देना चाहिए और इसके लिए अगर लेजिस्लेशन की जरूरत होगी तो आपको भरोसा होना चाहिए कि यह हाउस आपको वह सारी पावर्स देने के लिए तैयार होगा। यदि इस दिशा में आपके नेतृत्व में कुछ कदम उठाए जाते हैं तो मैं समझता हूं यह देश आपका आभारी रहेगा।

**श्री विजय कुमार यादव** (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। जो फिल्में यहां पर बन रही हैं उनके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि जनता की रुचि को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल बेसिस पर फिल्मों का निर्माण किया जाता है लेकिन मेरा तजुर्बा इससे कुछ भिन्न है और वह यह है कि फिल्मों का निर्माण जनता की रुचि को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। जनता की रुचि को बिगाड़ कर बाक्स-हिट फिल्में तैयार की जा रही हैं। समाज में हत्यायें हों, बलात्कार हों, चोरी-डकेती हों—ऐसी रुचि आम जनता की कभी नहीं हो सकती।

**15-44 hrs.**

[SHRI CHANDRAJIT YADAV *in the Chair*]

मैं समझता हूं बहुत लम्बे अरसे से फिल्मों में एक कांशस एफर्ट किया जा रहा है कि जनता की रुचि को बिगाड़ा जाए, बरबाद किया जाए।

सभापति महोदय, फिल्मों में खासतौर से महिलाओं को गन्दे तरीके से मनोरंजन का साधन बनाया जा रहा है और उस रूप में महिलाओं को पेश किया जा रहा है। मैं एक गाने का जिक्र करता हूँ जोकि बहुत ज्यादा चला हुआ है, शहरों में और दूसरी जगहों पर भी—"जिसकी बीवी मोटी, उसका भी बड़ा नाम है"—इसके आगे मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आखिर बीवी का ही जिक्र क्यों करते हैं, मर्दों का जिक्र क्यों नहीं किया गया। इसी तरह की और भी फिल्में हैं। एक तरफ हमने अपने संविधान में अपने देश के अन्दर महिलाओं को उच्च-स्थान दिया गया है या बराबरी का स्थान दिया गया है और हमारा सेंसर बोर्ड, जिसको कि अब आप "बोर्ड आफ फिल्म सर्टीफिकेशन" करने जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस नाम बदलने से क्या फायदा होने वाला है? जब तक आप फिल्म इन्डस्ट्रीज में देश में किस तरह की फिल्मों का निर्माण होगा, इस बेसिक एटिचूड पर अगर आप परिवर्तन नहीं लाते हैं और मनोरंजन कन्स्ट्रक्टिव न हो कर डिस्ट्रक्टिव रूप में, जनता की रुचि को बिगाड़ने वाला मनोरंजन देश के लोगों को अगर आप देना चाहते हैं तो इस तरह की नीति से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसी कि फिल्म इन्डस्ट्रीज पर बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, सरकारी अंकुश उस पर है और सेंसर बोर्ड के नाम पर उसके खिलाफ वातावरण बना और आपने कानून बनाने की बात की, लेकिन आप एक तरफ कानून बना रहे हैं और दूसरी तरफ से पावर आफ रिव्यू लेकर उसको आप अपने कब्जे में रखना चाह रहे हैं।

[श्री विजय कुमार]

आज जरूरत इस बात की है कि देश में जो ऐसे कलाकार हैं, जो कि सही मायने में देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुरूप अगर वह फिल्म बनाना चाहता हो, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले, ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता मिले और यह तभी हो सकता है जब कि पूंजीपतियों के हाथ से फिल्म इण्डस्ट्रीज को निकाला जाए और उन लोगों को मदद प्रदान की जाए।

आज फिल्मों में प्यार और मोहब्बत की बातें होती हैं, गरीबी की भी चर्चा होती है, मजदूर आन्दोलन की भी चर्चा होती है, लेकिन जब उस आन्दोलन का सही रूप सामने आता है, जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है, तो उस फिल्म को लाने की इजाजत नहीं दी जाती है। उस आन्दोलन की ओर न जाकर वहां वर्ग सहयोग की बात की जाती है। आज फिल्मों में बड़े पैमाने पर सरकारी नीतियों का प्रचार कर, वर्ग सहयोग के विचारों का प्रचार किया जाता है पर देश की गरीबी और बेरोजगारी तथा दूसरी जो मौलिक समस्यायें हैं, उनके समाधान का सही रास्ता यदि कोई फिल्म द्वारा दिखाना चाहता है, तो उसकी इजाजत नहीं दी जाती है। हमारी यह मांग होगी कि सरकार फिल्मों को इस मामले में स्वतन्त्रता दे और देश के अन्दर जो स्थिति पैदा हो रही है, देश के अन्दर जो आवश्यकता है, देश की बुनियादी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सही रास्ते हैं, उसके दिग्दर्शन का स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकार लोगों को मिले, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI CHITTA BASU (BARASAT) : Mr. Chairman, Sir first of all, I would also like to congratulate the Minister for the interest shown by him with regard to the necessity for changing the very policy governing the film industry. There has been a marked change in the policy of the Government.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : He is only nibbling.

SHRI CHITTA BASU : This has been reflected in the very appointment of the working group on national film policy. The appointment of this working group underlines the interest or the changed attitude of the Government with regard to film policy. At least, they agree that there should be a national film policy. However, we have been disappointed. This working group on the national film policy made a large number of recommendations, 231 recommendations to be exact. The fact that 231 recommendations were made by the working group indicates a comprehensive policy orientation regarding the film industry as a whole. Unfortunately, this Bill does not reflect an iota of that changes, at least this Bill reflects the same attitude, the attitude of conservatism.

Of course, I have got many things to say, but one of the important aspects which has already been underlined by my friend, Shri Parulekar is with regard to the revisional jurisdiction of the Government. You are aware of the fact, that the Government at Delhi, the Home Ministry, has issued a circular saying that if any dramatist group intends to show a drama, the manuscript is to be placed before the Home Ministry for their approval and acceptance. This indicates that the Government's idea is to censor certain progressive dramas, films or cultural activities. Naturally, the revisional jurisdiction retained by the Government in this respect strengthens the apprehension and the fear that the topics or certain features which are not liked by the Government, or the ruling party,

are likely to be prevented from being shown or screened under the provisions of this Bill. The Government can revoke, or suspend the screening of a film even if it has got the certification from the Board or the Tribunal. The mechanism is, that the certification is to be given by the Board ; the appellate tribunal is there to revise it ; and ultimately the revisional power is retained by the Government. In addition to that, there is revocation power itself. Therefore, it is contrary to the accepted principle of appellate tribunal, or the general principle of giving the certification by the Board and then the Tribunal. Now, here the ultimate power is retained by the Government.

My second point relates to the workers. Thirty-five lakh workers are involved in the cinema industry or cine industry. On earlier occasions I explained the condition of life and work of the workers in this industry. Sir, I don't want to go into the details of it. I only want to know what stands in the way of having a Central Legislation on the line of the Working Journalists Act ? If there is a comprehensive law regarding the condition of work of the cinema workers of the lines of the Working Journalists Act, much of the problems of the cinematograph workers can be eliminated. Therefore, would the Government assure that they will be thinking in terms of having a Central law regarding the condition of work of the cinematograph workers ?

Now there is a welcome inclusion regarding the national unity and integrity. Does the Government propose to have certain films specially categorised to depict the problems of national unity and integrity and giving the call for the preservation of it, depicting a particular thing on the heme of national unity and integrity?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE) : Sir, I want to thank all the Hon. Members who have participated as well listened and those who have contributed to it usefully in the Debate on this Bill.

Sir, I must say that many of the Hon. Members have brought into the scope of this Bill matters of the entire film Policy. I can at the outset say that I would have been very glad if it was possible to have one law relating to all aspects of this industry. But unfortunately that is not possible for the simple reason that cinema, as far as its exhibition as well as its distribution is concerned, it is exclusively under the State List. I have been pleading with the States that they need not have any apprehension ; that they can keep all the entertainment tax that they want. But for the purpopse of regulating distribution and exhibition, at least agree to have it as a Concurrent Subject. Even if that simple thing is done, we can help the growth of this industry and growth of good cinema to a very large extent. My conclusion after studying the problems of this industry is that it is in a vicious circle. Good cinemas are not produced, because good cinemas are not exhibited, good cinemas are not exhibited because there are no theatres to show them, and good cinemas are not also produced because distributors indirectly control both the exhibition and production and that it is in the grips of black money.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi) : Why don't you take-over distribution ? Not production.

SHRI VASANT SATHE : Production, we do not want to take over. Distribution also is not a Central Subject, Atalji. That is why I cannot take it over. I am therefore, pleading that if at least this much, distribution and exhibition, is brought in the Concurrent list' this can be done. I don't want

[Shri Vasant Sathe]

to take it from the States. I assure, you, Mr. Parulekar, you bring this Bill, which requires a small Constitutional amendment, we will support that. Or if you agree I am willing to bring it provided you say that you will support this. This will solve the problem of the really helpless to take them out of the clutches of the black-money in which this whole industry is caught. As I said the other day, the rate of interest, you will be surprised, has gone up from 40 to 60%. Now, which kind of money is that ? My friends are saying why are good films not produced ? Why are films with social purpose not produced ? It is because of the law of demand and supply in the clutches of which you have got in, which I know is the symptom of a capitalist structure of the economy and which best symbolises.

MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, would you like to continue ?

SHRI VASANT SATHE : Yes, Sir, I would like to continue tomorrow.

---

**16.00 hrs.**

## DISCUSSION *RE* TRAGIC DEATH OF 45 PERSONS AND INJURIES TO SEVERAL OTHERS AT THE QUTAB MINAR ON DECEMBER 4, 1981.

MR. CHAIRMAN : The House will now take up discussion under Rule 193 on the Statement made by the Minister of Home Affairs in the House on 4th December, 1981, regarding tragic death of 45 persons and injuries to several others at Qutab Minar, Delhi on 4th December, 1981. Shri Vajpayee will raise the discussion.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, 4 दिसम्बर, 1981 का दिन दिल्ली में हमेशा याद किया जाएगा। कुतुब मीनार जो पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग आनन्द के लिए जाते हैं, वही कुतुब मीनार उस दिन मौत की मीनार में बदल गयी।

सभापति महोदय, मौत के कई रूप हैं, कई रंग हैं। मगर ऐसी दर्दनाक मौत ! छोटे-छोटे बच्चे जिन्होंने अभी जिन्दगी को पूरी तरह देखा भी नहीं था, दम घुट कर मर गये, कुचल दिये गये, कोई सहायता नहीं पा सके। मौत अपने में शोक की छाया फैलाती है लेकिन जब ऐसी मौत हो जाए तो हम उन बच्चों के माता-पिताओं का थोड़ा-सा ख्याल करें। हरियाणा के बच्चे आये थे और बड़े उत्साह से आये थे कि कुतुब मीनार देखेंगे, दिल्ली की सैर करेंगे। वे बच्चे वापस नहीं जा सके। क्या अपराध था उन बच्चों का ? कुतुब मीनार टूटी नहीं है, कुतुब मीनार पर बिजली नहीं गिरी है। दिल्ली में भूकम्प नहीं आया है। एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसे टाला जा सकता था, जिसे टाला जाना चाहिए था। दुनिया को हम लोग क्या मुंह दिखायेंगे ?

सभापति महोदय, मैं इसे राजनीति का रूप नहीं देना चाहता। मगर जिन के हाथ में शासन है वे इस दोष से नहीं भाग सकते। उन्हें जनमत के कटघरे में खड़ा होना होगा। केवल शोक प्रकट करना काफी नहीं है। जो जिन्दगियां चली गयीं, वे वापस नहीं आ सकतीं। किसी की जिन्दगी की कीमत पांच हजार रुपये में नहीं तोली जा सकती। हर चीज़ का जवाब देना होगा।

मुझे अफसोस है कि गृह मंत्री ने जो बयान दिया, उस से मुझे एक बात समझ नहीं आयी। मैं उनकी शिकायत इस के लिए नहीं